महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-74जेएल/22-3-25/ई-1890825

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12-02-2025

विषयः- ओपेन जिला कारागार, पैठण (महाराष्ट्र राज्य) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विक्रम राजाराम चौरसिया पुत्र श्री राजाराम चौरसिया, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1638/सामा-1(4)/01/वा0प्र0बं0स्था0(जि0का0पैठण)/2024, दिनांक 10-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओपेन जिला कारागार, पैठण (महाराष्ट्र राज्य) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विक्रम राजाराम चौरसिया पुत्र श्री राजाराम चौरसिया, निवासी मदरहना जनूबी टोला-पिपरहवा, थाना-शोहरतगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर को उत्तर प्रदेश स्थित केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में स्थानांतरित किये जाने हेतु सहमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओपेन जिला कारागार, पैठण (महाराष्ट्र राज्य) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विक्रम राजाराम चौरसिया पुत्र श्री राजाराम चौरसिया, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में निरूद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष महानिरीक्षक, कारागार सुधार सेवायें, द्वितीय तल, ओल्ड सेण्ट्रल बिल्डिंग, पुणे, महाराष्ट्र राज्य-411001
2- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर/वाराणसी।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी एवं पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।